भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
सैन्य कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3207
09 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

सैनिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता

3207. श्री इमरान मसूद:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सैनिकों के माता-पिता ने सैनिकों की मृत्यु होने पर उनके परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता देने के लिए बनाए गए कानून में संशोधन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार वित्तीय सहायता के लिए बनाए गए कानूनों में संशोधन करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) से (घ): जी, हां। पारिवारिक पेंशन को पति/पत्नी और माता-पिता के बीच बांटने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो विचाराधीन है।

*****